AA.E.N.(M).
7.12.2017

634
7.12.17

# कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाडा (राज0)

क्रमांक एफ24–3( )/पंचा/विकास/2017/46425-26 दिनांक :– 05/12/2017

अधिशाषी अधिकारी,

नगर पालिका माण्डलगढ़,

भीलवाडा – राजस्थान

विषय :– माण्डलगढ किला से ग्राम गौठ तक डामर लिंग रोड निर्माण के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माण्डलगढ किला से ग्राम गौठ तक डामर लिंग रोड निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है, उक्त निर्माण में 1 हैक्टयर वन भूमि का अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 22/11/2017 द्वारा कर दिया गया। जिसका अनापति प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

5.12.17

जिला कलक्टर,
भीलवाडा

प्रतिलिपि :– उप वनसंरक्षक, भीलवाडा को सूचनार्थ प्रेषित हैं।

जिला कलक्टर,
भीलवाडा

**(Government of Rajasthan)**

# Office of the District Collector

## Bhilwara

No. ...46422...  Dated 04-12-2017

**To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter no.11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act,2006('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.85 hectare of forest land proposed to be diverted in favour of NAGAR PALIKA (name of user agency) for Road (purpose for diversion of forest land) in District falls within jurisdiction of GOTH (Peripheral Of Municipality, Mandalgarh ) village(s) in Mandalgarh Tehsil.

It is further certified that :

(d) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.85 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee , Sub-Division Level Committeeand the District Level Committee are enclosed as annexure ............... To ........ annexure ...................

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it;

(f) the proposal does not involve recognized right of Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encls.: As above

(Muktanand Agarwal)
District Collector
Bhilwara (Raj)

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा

क्रमांक :स्व.भा.मि. / 2017–18 / 591 दिनांक 15-11-2017

**—: उपखण्ड स्तरीय बैठक :—**

आज दिनांक 15-11-2017 को उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 की क्रियान्विती के अन्तर्गत बैठक आयोजित की गई। अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका माण्डलगढ़ के पत्र क्रमांक 1691 दिनांक 13.11.2017 के अनुसार माण्डलगढ़–गोठ लिंक रोड़ बनाया जाना प्रस्तावित हैं। नगर पालिका माण्डलगढ़ के पत्रांक 1444 दिनांक 29.09.2017 के अनुसार आयोजित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 13.07.2017 के अनुसार उक्त सड़क 2550 मीटर लम्बाई एवं 3.33 मीटर चौड़ाई मे वन भूमि मे बनाया जाना प्रस्तावित हैं। उक्त भूमि खसरा संख्या 145, 148, 172, 149, 01, 151, 150, 1420/148, 1416/172, 2 एवं 129 मे से रकबा 0.8491 हेक्टेयर भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध मे अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत कोई दावा इस उपखण्ड स्तरीय समिति माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा के समक्ष दर्ज एवं विचाराधीन नहीं हैं।

अतः उपखण्ड स्तरीय समिति उक्त वन भूमि मे से डामर सड़क बिछाने के कार्य हेतु अनापत्ति प्रामण पत्र जारी करने के लिए सहमत हैं एवं अनुशंषा करती हैं।

| | | | |
|---|---|---|---|
| तहसीलदार<br>सदस्य | क्षेत्रीय वन अधिकारी<br>सदस्य | विकास अधिकारी<br>सदस्य | उपखण्ड अधिकारी<br>अध्यक्ष |

# कार्यालय नगर पालिका, माण्डलगढ़ जिला–भीलवाड़ा

E-mail : npmandalgarh@gmail.com, Ph. - 01489-230036

क्रमांक / नपामा / 2017–18 / 1641 दिनांक :– 14-11-2017

## –: एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 13.06.2017 की आंशिक प्रतिलिपि :–

आज दिनांक 13.06.2017 को नगर पालिका के सभा भवन मे प्रातः 11 बजे एम्पावर्ड कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमे निम्न सदस्यगण उपस्थित हुये :–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सुश्री नन्दिनी साहू | अध्यक्ष एम्पावर्ड कमेटी |
| 2. | श्री साबिर हुसैन | सदस्य सचिव एम्पावर्ड कमेटी |
| 3. | श्री कुलदीप | सदस्य एम्पावर्ड कमेटी |
| 4. | श्री राजेन्द्र गुप्ता | सदस्य एम्पावर्ड कमेटी |
| 5. | श्री रफीक मोहम्मद | सदस्य एम्पावर्ड कमेटी |

**प्रस्ताव संख्या :– 4 माण्डलगढ़–गोठ लिंक सड़क निर्माण पर विचार** :– अधिशाषी अधिकारी ने सदन को बताया कि वर्तमान मे गोठ, सूरडिया, काबरिया, आल्या, नवलपुरा, भगवानपुरा व खाचरोल ग्रामों मे जाने के लिए 8 कि.मी. की दूरी तय करनी पड़ती हैं, तथा उक्त ग्रामों के निवासियों को माण्डलगढ़ आने के लिये लम्बा सफर तय करना पड़ता हैं। इस हेतु माण्डलगढ़ किले से ग्राम गोठ तक सड़क निर्माण कराये जाने से उक्त ग्रामों को सीधे नगर पालिका क्षेत्र से जोडा जा सकेगा तथा इससे आने–जाने मे सुविधा होगी। उक्त सड़क निर्माण हेतु जो भूमि प्रस्तावित हैं, उसमे लगभग 2550 मीटर भूमि वन विभाग के क्षेत्राधिकार मे आती हैं। उक्त वन भूमि मे किसी प्रकार का वन अधिकार दावा लम्बित नहीं हैं। अतः सम्बन्धित विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर सड़क निर्माण कराया जाना प्रस्तावित हैं। बाद विचार विमर्श सदन द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित पारित किया गया।

अधिशाषी अधिकारी
सदस्य सचिव
एम्पावर्ड कमेटी